मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगताओं वाले व्यक्तियों के लिए न्यायोचित आवास : आवास प्रदाताओं के लिए एक मार्गदर्शिका

www.hud.gov/fairhousing देखें
या नेशनल डिसक्रिमिनेशन हॉटलाइन को
1-800-669-9777 या 1-800-877-8339 (फ़ेडरल रिले) पर कॉल करें

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

Hindi

आवास प्रदाताओं के लिए आवश्यक जानकारी

न्यायोचित आवास कानून मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगताओं सहित सभी प्रकार के अपंग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगताओं वाले व्यक्तियों ने कई प्रकार के भेदभाव का सामना किया है, जिसमें संस्थागत और अन्य प्रकार से अलग रहना शामिल है। ऐसे आवास विकल्पों की अब अत्यधिक आवश्यकता है जो सस्ते, एकीकृत, और समुदाय-आधारित हों और जहाँ अपंगजन भेदभाव से मुक्त वातावरण में रह सकें। अपंगजनों को समाज में आजादी से, और उनकी आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवा, देखभाल-प्रदाता या साथ रहने वाले सहायक, या अन्य लघु- अथवा दीर्घ-कालीन सेवाओं या सहायताओं के साथ जीने का हक है। समुदाय-आधारित आवास विकल्प तक पहुंच यह सुनिश्चित करने के लिए भी ज़रूरी है कि अपंगजनों को संस्थाओं में रहने पर मजबूर न होना पड़े।

अपंगजनों को अपने फ़ैसले खुद लेने का और आजादी से रहने का अधिकार है। कुछ अपंगजनों को कुछ गतिविधियों के लिए सहायता की ज़रूरत हो सकती है और वे वकील, प्रतिनिधि, या पालक की सेवाएं ले सकते हैं। ऐसे मामलों में आवास-प्रदाताओं को चाहिए कि वे निर्णय प्रक्रिया में वकीलों और प्रतिनिधियों की योग्य भूमिका होना सुनिश्चित करें। ऐसे व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों के बारे में आवास-प्रदाता किसी पालक की तरह या भेदभाव-पूर्ण निर्णय न लें।

न्यायोचित आवास कानून जो अपंगता भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं

दी फ़ेयर हाउसिंग एक्ट, रीहैबिलिटेशन एक्ट का सेक्शन 504, और दी अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट अपंगजनों के प्रति आवासीय भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। इन कानूनों में, अन्य के अलावा, यह आवश्यकता भी है कि अपंगजनों को भी अन्य सभी लोगों के समान आवासीय मौके उपलब्ध कराए जाएं। यह संरक्षण पाने के हकदार लोगों में वे लोग शामिल हैं जिनकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता उनकी ज़िंदगी की एक या कई प्रमुख गतिविधियों में बड़ी बाधा डालती हो।

संरक्षित मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, और विकास संबंधी अपंगताओं के क्या उदाहरण हैं?

संरक्षित अपंगताओं में (अन्य के अलावा) शामिल हैं मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक, बौद्धिक, और विकास संबंधी समस्याएं, जैसे ऑर्गनिक ब्रेन सिण्ड्रोम, अवसाद, दुष्चिन्ता, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), विशेष शैक्षणिक अक्षमताएं, ऑटिज़्म, डाउन सिण्ड्रोम, मस्तिष्क की चोटें, अल्कोहोलिज़्म, और ड्रग की लत (वर्तमान गैरकानूनी नशीली दवाओं के अलावा)। **मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगताओं वाले व्यक्तियों के साथ आम तौर पर किस तरह आवासीय भेदभाव होता है?**

न्यायोचित आवास कानूनों के तहत, व्यक्तियों के साथ उनकी अपंगता के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है। न्यायोचित आवास कानूनों के तहत प्रतिबंधित भेदभावों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

- आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति से पूछना कि क्या उन्हें अपंगता है या किस प्रकार की अपंगता है, जब तक कि केवल अपंगजनों के लिए उपलब्ध आवास पाने की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रश्न आवास प्रदाता सभी आवेदकों से न पूछ रहे हों
- अपंगता के कारण किसी व्यक्ति को या उनके साथ रह रहे किसी व्यक्ति को उपलब्ध आवास दिखाने से या उसकी जानकारी देने से इंकार करना
- अपंगता के कारण किसी व्यक्ति को आवास बेचने या किराये पर देने से इंकार करना
- किसी आवेदक के संस्था में या सामूहिक आवास में रहने के कारण उन्हें आवास देने से इंकार करना
- अपंगता के कारण किसी उपलब्ध आवास पर अलग नियम या शर्तें रख देना, जैसे अधिक किराया या सिक्योरिटी डिपॉज़िट मांगना

- आवेदक द्वारा किसी संस्थागत वातावरण में रहने के कारण आवास पर अलग नियम या शर्तें रखना, जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग करना या अतिरिक्त सॉर्टिंग मंजूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहना
- ऐसी वाजिब सुविधाएं देने से या वाजिब बदलाव की अनुमति देने से इंकार करना जो आपके या आपके साथ रहने वाले अपंग व्यक्ति के लिए आवास का उपयोग करने या उसका आनन्द लेने हेतु समान अवसर पाने के लिए आवश्यक हों
- अपंगता के कारण किसी व्यक्ति को विशिष्ट आवासीय इकाईयों में या आवासीय कॉप्लेक्स के भागों में रहने से प्रतिबंधित करना
- अपंगता के कारण अधिक कठोर स्क्रीनिंग मापदंड लागू करना
- भेदभाव-पूर्ण विज्ञापन देना, जिससे अपंगजन आवास के लिए आवेदन करने से हतोत्साहित हों
- अपंगता के कारण निवासी या उनके साथ रहने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल देना
- अपंगता के कारण किसी व्यक्ति को या उनके साथ रहने वाले व्यक्ति को परेशान करना
- उपचार या दवाओं के बारे में पूछना
- व्यक्तियों को ऐसे एकत्रित आवासीय क्षेत्र में जगह लेने पर बाध्य करना जो केवल, या प्रमुखतः, उसी या उस जैसी अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए विकसित किया गया हो

न्यायोचित आवास कानूनों के तहत अनुमत गतिविधियां कौनसी हैं?

एक आवास प्रदाता उपलब्ध आवासों के लिए आवेदकों को जांच कर सकता है और रहवासियों के लिए नियम या आचार संहिता बना सकता है, बशर्ते जांच, नियम, और आचार संहिता सभी लोगों पर समान रूप से लागू किए जाएं, वे भेदभाव-पूर्ण न हों, और आवास प्रदाता इन नीतियों, कार्यविधियों, नियमों, और संहिताओं में अपंग व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार समुचित बदलाव करे। आवास प्रदाता, भय, पूर्वाग्रह, या सामान्य धारणाओं के आधार पर अपंगजनों के प्रति भेदभाव न करे।

वाजिब सुविधाएं और बदलाव क्या हैं?

वाजिब सुविधाएं और बदलाव का अर्थ है नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, सेवाओं, या किसी घर की भौतिक संरचना में बदलाव करना ताकि किसी अपंग व्यक्ति को आवास का उपयोग करने और आनन्द लेने का समान अवसर मिल सके। एचयूडी-सहायता प्राप्त आवासों में, इकाईयों, सार्वजनिक, और सामान्य इस्तेमाल के क्षेत्रों की संरचना में बदलाव उन वाजिब सुविधाओं के तहत आएंगे जिनको आवास प्रदाता द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा। वाजिब सुविधा या बदलाव के अनुरोधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

- "पालतू जानवर प्रतिबंधित" नीति होने पर सहायक पशु रखने के लिए पूछना
- आवेदन या अन्य दस्तावेज़ भरने के लिए मदद मांगना
- आवास प्रदाता से सहायक साथ रहने की या अन्य सहायक सेवाओं की अनुमति लेना
- सीमित आवेदन अवधि को बढ़ाना औरआवेदन प्रक्रिया या स्थान में लचीलेपन की अनुमति देना
- किराया देने की नियत तिथी में बदलाव करके उसे सोशल सर्विस डिसएबिलिटी चेक, या अन्य लघु- या दीर्घ-अवधि अपंगता भुगतान मिलने तक बढ़ाना
- चलने-फिरने या अन्य संवेदी आवश्यकताओं के कारण घर की या साझा क्षेत्र की संरचना में बदलाव का अनुरोध करना
- अपंगता-संबंधित कारणों से नियत समय में अनुरोधों का जवाब न दे सकने पर भी प्रतीक्षा-सूची में बने रहने का अनुरोध करना
- प्रतीक्षा-सूची में सबसे ऊपर आ जाने पर, उपचार या अस्पताल-भर्ती आदि अपंगता-संबंधित वजहों से घर न ले सकने के कारण अतिरिक्त समय मांगना
- अस्पताल-भर्ती के कारण कोई हाल की किरायेदारी या नौकरी का इतिहास न होने के कारण वैकल्पिक संदर्भ, जैसे कोई सोशल वर्कर, स्वीकार करने का अनुरोध करना

मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक या विकास संबंधी अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए न्यायोचित आवास: आवास प्रदाताओं के लिए एक मार्गदर्शिका

वाजिब सुविधा या बदलाव मांगने वाले किसी अपंग व्यक्ति से कोई आवास प्रदाता किस प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं?

यदि अपंगता और अनुरोध की आवश्यकता सुस्पष्ट हैं या आवास प्रदाता को उनकी जानकारी है, तो प्रदाता कोई अन्य जानकारी नहीं मांग सकते। आवास प्रदाता इस बात का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी मांग सकते हैं कि अनुरोध की गई वाजिब सुविधा या बदलाव अपंगता के कारण आवश्यक है, लेकिन वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब अपंगता या सुविधा अथवा बदलाव की अपंगता-संबंधित आवश्यकता स्पष्ट न हो, चाहे अनुरोधकर्ता ने अधिमान्य फॉर्म या प्रक्रिया का उपयोग न भी किया हो। आवास प्रदाता उस व्यक्ति के साथ एक आपसी प्रक्रिया किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह प्रक्रिया अनुरोध अस्वीकृत करने से पहले शुरू करनी होगी।

न्यायोचित आवास एक अच्छा व्यवसाय है। यह कानून भी है।

ज़्यादा जानकारी के लिए www.hud.gov/fairhousing पर जाएं या अपने स्थानीय एचयूडी कार्यालय या स्थानीय न्यायोचित आवास संस्था से संपर्क करें।
इन बातों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया उनकी लिंक पर जाएं :

- न्यायोचित आवास कानूनों के तहत अपंगजनों के अधिकार
- सेक्शन 504 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- फ़ेयर हाउसिंग एक्ट के तहत वाजिब सुविधाएं
- फ़ेयर हाउसिंग एक्ट के तहत वाजिब बदलाव
- फ़ेयर हाउसिंग एक्ट के तहत वाजिब सुविधा के रूप में किसी व्यक्ति के पशु रखने के अनुरोध का मूल्यांकन
- ओल्मस्टेड के लक्ष्यों की प्राप्ति में आवास की भूमिका पर एचयूडी का बयान